Court F.R. 48/2026

तारीख हुक्म	**न्यायायलः अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी** **एफ आई आर संख्या 22/2025–26** **राज्य बनाम अज्ञात** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
ांक 05.03.2026	अभियोजन अधिकारी ने आबकारी थाना बून्दी शहर की एफआईआर सं. 22/2025–26, धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में अन्तिम प्रतिवेदन अदम पता माल मुलजिम में पेश किया है। जिस पर कार्यालय की रिपोर्ट ली गई। बाद कार्यालय रिपोर्ट एफ.आर. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफ.आर. दर्ज रजिस्टर हो। इस पर एफ.आर. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। एफ.आई.आर. सं. 22/2025–26, धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में दर्ज हुई थी। जिसमें बाद अनुसंधान अन्तिम प्रतिवेदन अदम पता माल मुलजिम में पेश हुई है। सुना गया। एफ.आर. पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत अंतिम प्रतिवेदन में अनुसंधान अधिकारी द्वारा दिये गये अनुसंधान मे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से आबकारी थाना बून्दी द्वारा प्रस्तुत एफआर स्वीकार की जाती है। केस डायरी ~~पी.ओ.~~ (सम्बन्धित पुलिस थाना।) को लौटावे। पत्रावली वास्ते फैसल आदेश हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 14.03.2026 को पेश हो। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बून्दी (राज0) 14/03/26 यह पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत मे फैसल आदेश हेतु रखी गई। पत्रावली मे अब कोई कार्यवाही शेष नही है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल अभिलेखागार हो। सदस्य अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच नं. ...3.	